(ग) क्या सरकार उन कम्पनियों के विरुद्ध बकाया राशि को वसूलने हेतु कड़े उपाय करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (क) गत तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू कंपनियों से वसूल की गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उपकर सहित) की राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1991-92 . .	2690.81 करोड़ रुपये
1992-93 . .	3104.75 करोड़ रुपये
1993-94 . .	3301.50 करोड़ रुपये
(संशोधित अनुमान)	

(ख) ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र संख्या 74]

(ग) और (घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार चूककर्ता कंपनियों के खिलाफ निरपवाद रूप से कार्रवाई की जाती है । तथापि इन प्रयोजनों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है ।

बकाया ऋणों की वसूली

3763. श्रीमती चन्द्रिका अभिनंदन जैन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों के बकाया ऋणों की वसूली के लिए निकट भविष्य में ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बैंकों का पुनर्गठन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कब तक पुनर्गठन किए जाने की संभावना है और बैंकिंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है; और

(ङ) अन्य एशियाई देशों की तुलना में भारतीय बैंकिंग प्रणाली का स्तर क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकार ने, बकों और वित्तीय संस्थाओं को शीघ्र ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के तहत ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली और उससे संबद्ध अथवा प्रासंगिक मामलों के शीघ्र न्याय-निर्णयन के लिये अधिकरण स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ।

(ग) और (घ) सरकार को, भारतीय स्टेट बैंक से, उसके सात अनुषंगी बैंकों को एकल बैंक में विलय करने संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से विचाराधीन है और इस स्थिति में, इस संबन्ध में कोई भी निर्धारित समय-सीमा बतायी नहीं जा सकती ।

सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंकों ने बैंकिंग क्षेत्र में लाभप्रदता, उत्पादकता और कारगरता में सुधार लाने संबंधी सुधार योजनाएं तैयार की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण के जरिए बकों का प्रौद्योगिक आधुनिकीकरण भी शामिल है । अगले कुछ वर्षों में, बैंकों के 500 शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है ।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बैंकिंग प्रणाली की अन्य एशियाई देशों में प्रचलित प्रणाली के मानकों के साथ तुलना करने के बारे में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है । अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों के लिए वस्तुनिष्ठ, अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त लेखा मानक तथा पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये हैं ।

Decline in per Capita Income

3764. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether India's per capita income recorded a decline of $ 20 in 1992 over the previous year as per the 26th edition of the World Bank Atlas ;

(b) if so, how do these figures compare with Government's corresponding figures in terms of dollars and the Indian rupee ; and

(c) what is the estimated per capita income for 1993 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) to (c) As per the Twenty Sixth World Bank Atlas the per capita GNP figures for India are stated to be US Dollar 310 in 1992 as against US Dollar 330 in 1991. It may be noted that these figures are on a Calendar year basis arrived at by using a conversion method to smooth fluctuations in prices and exchange rates. In contrast, Central Statistical Organisation brings out broad macro aggregates on a financial year basis both at current and constant prices in Rupee terms only. The latest available estimates of per capita income are as under :